न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/118 दायरा दिनांक : 05.10.2021

उनवान

1– जहूर अहमद आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
2– जमील अहमद आत्मज जहूर अहमद, जाति मुसलमान
3– शकील अहमद आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
4– मन्जूर आलम आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
5– नफीम आलम आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
6– फरीद अहमद आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
7– अनीसा आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
8– नफीसा बानो आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
9– रेहाना आत्मज मोहम्मद नजीर, जाति मुसलमान
10– नसीर मोहम्मद आत्मज बसीर मोहम्मद, जाति मुसलमान (मृतक) का0 मु0 :–
10/1–अंसार मोहम्मद
10/2–मोहम्मद इशाक
10/3–मो0 हनीफ
10/4–वसीम
10/5–हेमन्त बी पिसरान नसीर मो0
11– शरीफ मोहम्मद आत्मज शब्बीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
12– अल्ताफ मोहम्मद आत्मज शब्बीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
13– महफूजा बानो आत्मज शब्बीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
14– मकसूदा आत्मज शब्बीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
15– नजमा बानो आत्मज शब्बीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
16– परवीन बानो आत्मज शब्बीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
17– अब्दुल गफ्फार आत्मज बसीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
18– साबिर हुसैन आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
19– हबीब चौधरी आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
20– मीना बानो आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
21– शहनाज बानो आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
22– सीतारा बानो आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
23– फिरोजा बानो आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
24– तब्बसूम आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
25– मुन्नी आत्मज अब्दुल सत्तार, जाति मुसलमान
26– जहिर मोहम्मद आत्मज बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
27– रूस्तम मोहम्मद आत्मज बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान
28– जमील अहमद आत्मज इब्राहीम मोहम्मद, जाति मुसलमान
29– फिरोज आत्मज इब्राहीम मोहम्मद, जाति मुसलमान
30– रजिया आत्मज इब्राहीम मोहम्मद, जाति मुसलमान
अकवाम निवासीगण भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– अब्दुल कय्यूम आत्मज मोहम्मद अयूब, जाति मुसलमान, निवासी सरकारी कुऍं के पास, बाजार नम्बर 2 रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
2– मोहम्मद याकूब आत्मज मोहम्मद अयूब, जाति मुसलमान, निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
3– बबलू आत्मज मोहम्मद अयूब, जाति मुसलमान, निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
4– शमीम बानो आत्मज मोहम्मद अयूब, जाति मुसलमान, निवासी रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा
5– छोटी बाई आत्मज मोहम्मद अयूब पत्नि अख्तर आलम, जाति मुसलमान, निवासी रामगंजमण्डी, जिला कोटा हाल कूजंडा गली, पुराना जेल रोड़ झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6– रफीक मोहम्मद आ. बशीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी (मृतक) जरिये कायम मुकाम :–

6/1– मोहम्मद जुनेज पुत्र रफीक मोहम्मद

6/2– मोहम्मद अवेस पुत्र रफीक मोहम्मद

6/3– मोहम्मद आसीफ पुत्र रफीक मोहम्मद

6/4– हीना पुत्री रफीक मोहम्मद

6/5– हनीफा पुत्री रफीक मोहम्मद

अकवाम जाति मुसलमान, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सतीश चन्द गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 3, 4, 5 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 59/दावा/2019 निर्णय दिनांक 08.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट व अन्य ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ में आराजी खाता संख्या 07 नया 07 पुराना की आराजी खसरा सं. 530/1 रकबा 16 बिस्वा, खसरा सं. 543/1 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं. 544/2 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा आराजी वाके ग्राम भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़ की जमाबंदी सम्वत 2061–2074 में दर्ज है, जो वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के खाते दर्ज है जो कि उक्त सम्पूर्ण आराजी पुश्तैनी आराजी है। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त शामलाती खाते में दर्ज थी तथा प्रतिवादी ने दिनांक 22.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2021 से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. स्वीकार किया तथा वाद वादी अस्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण ने यह अपील प्रस्तुत की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा एवं बंटवारा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब दावा हेतु चल रही थी, इसी दौरान रेस्पोडेंट 1 लगायत 5 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत पेश किया और जाहिर किया कि पूर्व में भी रफीक मोहम्मद द्वारा धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत वाद पेश किया था, जिसमें दिनांक 31.05.2007 को निर्णय हो चुका है। विधिनुसार प्रस्तुत वाद रेसज्यूडीकेटा से बाधित है एवं चलने योग्य नहीं है। वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का वाद ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. की परिधि में नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा के आधार पर चलने योग्य नहीं मानते हुए रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. स्वीकार करते हुए वादी/अपीलांट का वाद अस्वीकार कर दिया। इसलिए अपीलांट अधीमस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2021 के विरूद्ध अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाकर निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व बंटवारे का था। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. में जिन आधारों का उल्लेख किया है उनके आधार पर अपीलांट का वाद खारिज नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित मामले में रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांतों के आधार पर वाद चलना होना नहीं मानकर उक्त प्रावधानों के तहत प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज करने में त्रुटि की है। रेसज्यूडीकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं कानून का मिश्रित बिन्दु है और साक्ष्य लेखबद्ध करना आवश्यक है। इस मामले में साक्ष्य से साबित किए बिना अपीलांट के दावे को रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बाधित होना नहीं माना जा सकता और इस आधार पर ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत अपीलांट का वाद खारिज नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के बाद रेसज्यूडीकेटा के बिन्दु पर निर्णय पारित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया जा सकता है। पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के पक्षकारान समान नहीं हैं। दोनों दावों की धाराऐं भी भिन्न है एवं वाद कारण भी भिन्न है और कानून बंटवारे के दावे में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया। विवादित मामले में ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलांट नं. 10 फोत हो चुका है उसके कायम मुकाम 10/1 लगायत 10/5 है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे कि वह उक्त प्रकरण के मामले में पक्षकारान की तलब कर जवाब दावा लेते हुए बाद साक्ष्य विधि सम्मत तरीके से वाद का पुनः निर्णय पारित करें।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि यह कि उक्त अपील से संबंधित मूल प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 59/19 को ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत रेसज्यूडीकेटा सिद्धांत के तहत चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया तथा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. को स्वीकार करते हुए वाद दिनांक 08.09.2021 को निरस्त कर दिया गया। अपीलांट ने मुख्य रूप से अपनी अपील में यह तथ्य उठाया कि रेसज्यूडीकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं कानून का मिश्रित बिन्दु है जिसमें साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है तथा मामले में साक्ष्य से साबित किये बिना अपीलांट के दावे को रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बाधित होना नहीं माना जा सकता तथा इसी तथ्य के समर्थन में अपीलांट ने सन् 2018 आर. बी. जे. अपील सं. 484/2015 बउनवान गंगाराम बनाम कालूराम को रिलाय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2021 को कानून सम्मत नहीं बतलाया है जबकि वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण 59/2019 अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. (घ) का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर विधिवत बहस सुनी जाकर रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेसज्यूडीकेटा सिद्धांत के आधार पर दिनांक 08.09.2021 को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त दृष्टांत को आधार बनाकर प्रस्तुत की है।

6 अपीलांट की ओर से अपील का मूल आधार न्यायिक दृष्टांत आर. बी. जे. 2018 अपील नम्बर 484/2015 गंगाराम बनाम कालूराम के तथ्यों को आधार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की है किन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त दृष्टांत के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न थे। गंगाराम बनाम कालूराम वाले न्यायिक दृष्टान्त में मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में नोट प्रेस के आधार पर निरस्त किया गया था, जिसके आधार पर अपीलीय न्यायालय ने गंगाराम बनाम कालूराम अपील को स्वीकार करते हुए सिद्धांत प्रतिपादित किया एवं रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत के तहत गंगाराम बनाम कालूराम के प्रकरण को पोषनीय नहीं माना था जबकि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रस्तुत प्रकरण सं. 59/2019 प्रकरण में न्यायालय की ओर से पूर्व के निस्तारित प्रकरण सं. 41/2007 में प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से वाद की सूचना जारी की गई तथा समस्त प्रतिवादीगण को सूचना होने के उपरान्त भी निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की सूरत में उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी एवं प्रकरण सं. 41/2007 में विधिवत रूप से साक्ष्य कलमबद्ध की गई एवं दस्तावेज प्रदर्शित हुए एवं बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2005 को निर्णय पारित कर प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं मौका रिपोर्ट पटवारी बाबत बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त दिनांक 07.02.2008 को न्यायालय द्वारा फाईनल डिकी जारी की गई तथा न्यायालय द्वारा जारी फाईनल डिकी के आधार पर जमाबंदी एवं रेवेन्यु रेकार्ड में रद्दो–बदल किया गया। पूर्व में विचाराधीन रहे प्रकरण सं. 41/2007 की कोई अपील वर्तमान अपील से पूर्व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा दिनांक 31.05.2007 को पारित उपखण्ड न्यायालय का निर्णय अंतिम रहा।

7 अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहे प्रकरण 59/2019 में जिन्हें पक्षकार बनाया गया है, वहीं पक्षकारान पूर्व में विचाराधीन रहे, प्रकरण सं. 41/2007 में पक्षकार बनाये गये थे। अपीलांट पूर्व में विधि सम्मत तरीके से पारित किये गये निर्णय से पूर्णतः पाबन्द है तथा प्रस्तुत प्रकरण सं. 59/2019 रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से पूर्णतः बाधित है। पूर्व का प्रकरण 41/2007 तथा वर्तमान प्रकरण 59/2019 दोनों ही प्रकरण धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किये गये थे। वर्तमान में प्रस्तुत किये गये प्रकरण 59/2019 में कुछ तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर धारा 88 आर. टी. एक्ट की ओर जोड़ी जाकर पेश किया गया है।

8 वाद संख्या 59/2019 में वादीगण द्वारा पूर्व में विचाराधीन रहे वाद सं. 41/2007 के तथ्यों का कोई हवाला नहीं दिया तथा पूर्व के विचारण वाद सं. 41/2007 के तथ्यों को पूर्णतया छुपाकर नया वाद समान

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पक्षकारान के मध्य बंटवारे का वाद 11 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.09.2021 को पारित किये अपने निर्णय में स्पष्टतः वर्णित किया है कि पूर्व में डिक्रीदार असंतुष्ट होने की सूरत में अपील की जानी चाहिए थी, प्रस्तुत प्रकरण सं. 59/2019 के पक्षकार पूर्व के प्रकरण सं. 41/2007 में स्वयं पक्षकार थे अथवा उनके पूर्वज पक्षकार थे, बंटवारा प्रस्ताव पर पूर्व प्रकरण सं. 41/2007 के वादीगण के सहमति के हस्ताक्षर भी है। पूर्व में रेवेन्यु रिकार्ड रद्दो–बदल के लिए नामान्तरकरण सं. 658 दिनांक 28.03.2008 की अपील भी अपीलांट्स द्वारा की जा सकती थी, किन्तु नामान्तरकरण सं. 658 की कोई अपील अपीलांट द्वारा नहीं की गई।

9 अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत गंगाराम बनाम कालूराम का उल्लेख किया गया है, उस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में नोट प्रेस में खारिज किया गया था, इस कारण से उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि रेसज्यूडीकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं कानून का मिश्रित बिन्दु है। प्रकरण का पूर्व विचारण होना आवश्यक है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण 59/2019 से पूर्व प्रकरण सं. 41/2007 में प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से सूचना जारी की गई थी एवं साक्ष्य वादी भी लेखबद्ध किया गया। दस्तावेज भी प्रदर्श करवाये गये तथा बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 31.05.2007 को प्रकरण का पूर्ण विधि अनुसार विचारण कर निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई एवं मौका रिपोर्ट एवं पटवारी बाबत बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त दिनांक 07.02.2008 को फाईनल डिक्री जारी की गई जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत गंगाराम बनाम कालूराम प्रकरण में पूर्व का प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया गया था एवं पूर्व का प्रकरण पूर्व विचाराधीन नहीं हुआ था जबकि प्रस्तुत प्रकरण 59/2019 से पूर्व के वाद 41/2007 का न्यायालय द्वारा पूर्ण विचारण किया जाकर निर्णय पारित किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान के सहमति के हस्ताक्षर भी है, इस कारण से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत गंगाराम बनाम कालूराम में प्रतिपादित सिद्धांत प्रस्तुत अपील पर लागू नहीं होता है।

10 अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट की ओर से न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों व विधिक आधारों पर पूर्णतः लागू होते हैं, जिसमें रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत को प्रकरण सं. 59/2019 पर पूर्णतः लागू होना माना है।

11 प्रकरण सं. 41/2007 एवं 59/2019 दोनों वाद की विषयवस्तु एक ही है तथा दोनों प्रकरण की आराजी समान है। दोनों प्रकरण के पक्षकार भी समान है। पूर्व के प्रकरण में कुछ अपीलांट स्वयं तथा कुछ अपीलांट के पूर्वज पक्षकार थे तथा पूर्व का प्रकरण सं. 41/2007 में नियमानुसार प्रतिवादीगण को सूचना दिये जाने, साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने एवं बहस सुनने के उपरान्त पूर्ण विचारित किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया एवं प्रकरण में प्रारम्भिक एवं फाईनल डिक्री जारी की गई है। बंटवारा प्रस्ताव पर भी सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत प्रकरण सं. 59/2019 पर पूर्णतया लागू होता है तथा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 रूल 11 जाब्ता दीवानी का विधिक रूप से पोषनीय प्रार्थना पत्र रहा है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही स्वीकार किया गया है। न्यायिक दृष्टांत गंगाराम बनाम कालूराम के तथ्य एवं परिस्थिति प्रस्तुत अपील से संबंधित प्रकरण से पूर्णतः भिन्न है।

12 अतः रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 की ओर से उपरोक्तानुसार लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट विधि अनुसार पोषनीय नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र ऑदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का सही स्वीकार किया गया है एवं रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। इस कारण से प्रस्तुत अपील अपीलांट 10,000/– दस हजार रूपये के विशेष हर्जे पर खारिज किये जाने की कृपा करें।

13 हमने बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी। प्रस्तुत अपील, न्यायिक दृष्टांतों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

14 विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व बंटवारे का था। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. में जिन आधारों का उल्लेख किया है उसके आधार पर अपीलांट का वाद खारिज नहीं किया जा सकता। रेसज्यूडीकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं कानून का मिश्रित बिन्दु है और साक्ष्य लेखबद्ध करना आवश्यक है। इस मामले में साक्ष्य से साबित किये बिना अपीलांट के दावे को रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बाधित होना नहीं माना जा सकता और इस आधार पर ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत अपीलांट का वाद खारिज नहीं किया जा सकेंता। दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के बाद रेसज्यूडीकेटा के बिन्दु पर निर्णय पारित किया जा सकता है। पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के पक्षकारान समान नहीं है। दोनों दावों की धाराऍं भी

(दीपि रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अतिरिक्त अपील प्राधिकारी, कोटा

भिन्न है एवं वाद कारण भी भिन्न है और कानूनन बंटवारे के दावे में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया।

15 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अभिभाषक अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ने मुख्य रूप से अपनी अपील में यह तथ्य उठाया है कि रेसज्यूडीकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं कानून का मिश्रित बिन्दु है, जिसमें साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है तथा मामले में साक्ष्य से साबित किये बिना अपीलांट के दावे को रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बाधित होना नहीं माना जा सकता, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण संख्या 59/2019 अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. पर विधिवत बहस सुनकर रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेसज्यूडीकेटा सिद्धांत के आधार पर दिनांक 08.09.2021 को निर्णय पारित कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है, जो सही है।

16 वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण संख्या 59/2019 व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निस्तारित प्रकरण संख्या 41/2007 दो समान प्रकृति के वाद हैं। दोनों प्रकरणों की वादग्रस्त भूमि समान है, दोनों प्रकरणों के पक्षकार भी समान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 41/2007 का निस्तारण करते समय विधिवत रूप से साक्ष्य कलमबद्ध की गई एवं दस्तावेज प्रदर्शित हुए एवं बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2005 को निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं मौका रिपोर्ट पटवारी बाबत बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त दिनांक 07.02.2008 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री जारी की गई तथा न्यायालय द्वारा जारी फाईनल डिक्री के आधार पर जमाबंदी एवं रेवेन्यु रिकॉर्ड में रद्दो–बदल किया गया। पूर्व के इस प्रकरण संख्या 41/2007 की कोई अपील वर्तमान अपील से पूर्व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा दिनांक 31.05.2007 को पारित उपखण्ड न्यायालय का निर्णय अंतिम रहा। अपीलांट पूर्व में विधि सम्मत तरीके से पारित किये गये निर्णय से पूर्णतः पाबन्द है तथा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 59/2019 रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से पूर्णतः बाधित है। पूर्व का प्रकरण संख्या 41/2007 तथा वर्तमान प्रकरण संख्या 59/2019 दोनों ही धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये थे। वर्तमान में प्रस्तुत किये गये प्रकरण संख्या 59/2019 में कुछ तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ओर जोड़ी जाकर पेश किया गया है।

17 वाद संख्या 59/2019 में वादीगण द्वारा पूर्व में निस्तारित वाद संख्या 41/2007 के तथ्यों का कोई हवाला नहीं दिया तथा पूर्व के वाद के तथ्यों को पूर्णतया छुपाकर पुनः 11 वर्ष उपरान्त समान पक्षकारान के मध्य बंटवारे का नया वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.09.2021 को पारित किये अपने निर्णय में स्पष्टतः वर्णित किया है कि पूर्व में बंटवारे से असन्तुष्ट होने की सूरत में अपील की जानी चाहिए थी, प्रस्तुत प्रकरण संख्या 59/2019 के पक्षकार पूर्व के प्रकरण संख्या 41/2007 में स्वयं पक्षकार थे अथवा उनक पूर्वज पक्षकार थे, बंटवारा प्रस्ताव पर पूर्व प्रकरण संख्या 41/2007 के वादीगण के सहमति के हस्ताक्षर भी है। पूर्व में रेवेन्यु रिकॉर्ड में रद्दो–बदल के लिए नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 28.03.2008 की अपील भी अपीलांट द्वारा की जा सकती थी, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 658 की कोई अपील अपीलांट द्वारा नहीं की गई।

18 उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2021 को पारित निर्णय तथा पत्रावलियों के अवलोकन उपरान्त यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णित पूर्व प्रकरण संख्या 41/2007 व वर्तमान में निर्णित प्रकरण संख्या 59/2019 दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु समान है। दोनों प्रकरणों की वादग्रस्त आराजी भी समान है। दोनों प्रकरणों के पक्षकार भी समान है अर्थात् अपीलांट व रेस्पोडेंट स्वयं या उनके पूर्वज वादी व प्रतिवादी के रूप में पक्षकार रहे हैं। अपीलांट द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 59/2019 में मात्र धारा 53 के साथ धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जोड़कर नया वाद प्रस्तुत किया है जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता, क्योंकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अंतिम रूप से पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करते ही सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से की आराजी के खातेदार बन जाते हैं। अपीलांट का यह कथन कि ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. में जिन आधारों का उल्लेख किया है उनके आधार पर अपीलांट का वाद खारिज नहीं किया जा सकता, परन्तु ऑर्डर 7 नियम 11 (घ) सी. पी. सी. के प्रावधान के अनुसार जहॉ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो वाद ऑर्डर 7 नियम 11 (घ) के तहत खारिज होने योग्य होता है। वादी अपीलांट द्वारा वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 59/2019 के वादपत्र के कथन में उल्लेखित भूमि, विषयवस्तु व पक्षकार समान होने से वादपत्र के कथनों के आधार पर ही धारा 11 सी. पी. सी. के प्रावधान लागू होते हैं । धारा 11 सी. पी. सी. के अनुसर कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद का विचारण नहीं करेगा जो पूर्ववर्ती वाद में पहले ही निर्णीत किया जा चुका है, जहॉ पूर्व में निर्णीत वाद और नए वाद के पक्षकार समान है, पूर्ववर्ती वाद में वाद और विवाद्यक का विषय

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सहायक अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रत्यक्षतः और सारतः वही था जो गए वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः उठाया गया है, प्रतिवादी वाद सुना जाकर अंतिम रूप से फैसला किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आधारों पर ही प्रतिवादी के आवेदन के ऑर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 59/2019 खारिज किया।

19 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2021 यथावत रखा जाता है।

20 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा